# खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

## विभागीय अपील

## श्रीमती कुमारी नीलम बनाम बिहार सरकार

## आदेश

**अपीलार्थी श्रीमती कुमारी नीलम उपस्थित।**

17.11.2025

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीमती संगीता सिंह उपस्थित**

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्रीमती कुमारी नीलम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर छपरा (सारण) सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा दायर किया गया है। यह अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निर्धारित प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–2588/खाद्य, पटना/दिनांक–06.06.2022 में पारित आदेश जिसके तहत अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार प्रमाणित आरोपों के लिए आदेश निर्गमन की तिथि से पाँच वर्षों तक 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है, को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी गई है एवं उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्य एवं अन्य संलग्न कागजात के अवलोकन से संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है–श्रीमती कुमारी नीलम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर छपरा (सारण) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक–921 दिनांक–10.10.2018 द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न/अनाज दिये जाने, राशन कार्डधारियों के कार्ड पर आपूर्ति किये गये खाद्यान्न की मात्रा अंकित नहीं कर मात्र (√) चिन्ह लगाये जाने तथा निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरूपयोग करने संबंधित प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए गठित आरोप पत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती नीलम के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–1055 दिनांक–01.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त के क्रम में श्रीमती नीलम के सेवानिवृति के उपरान्त उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक–660 दिनांक 08.02.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत समपरिवर्तित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभाग को जांच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराते हुए श्रीमती नीलम के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए अपना मंतव्य अंकित किया गया है कि "श्रीमती नीलम द्वारा आरोप संख्या–01 के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह सिद्ध कर सके कि सदर प्रखंड छपरा अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सुदिष्ट नारायण सिंह के विरूद्ध उपभोक्ताओं ने जो बयान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष स्थानीय निरीक्षण के दौरान दिये गये थे, वे असत्य थे। श्रीमती नीलम ने अपने स्पष्टीकरण में विक्रेता श्री सुदिष्ट नारायण सिंह की दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं की संख्या और कुल आवंटित खाद्यान्न का उल्लेख भी नहीं किया है। उपस्थापन पदाधिकारी का कथन है कि श्रीमती नीलम ने कर्णाकित खाद्यान्न की सकल मात्रा के विरूद्ध विक्रेता श्री सिंह को उपावंटित कुल मात्रा के कम होने की बात प्रशासनिक फ्रेम अन्तर्गत किसी भी प्रशासनिक स्तर पर सूचित नहीं की है। यदि खाद्यान्न की वितरित मात्रा मानक मात्रा से कम थी, तो खाद्यान्न का आवंटन कम प्राप्त होना मात्र एक कारण नहीं हो सकता। श्रीमती नीलम यह सिद्ध नहीं कर पाई कि कम मात्रा में खाद्यान्न का उपावंटन प्राप्त होने के बाद कम से कम उतनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण हुआ अथवा नहीं। श्रीमती नीलम यह स्पष्ट करने में असफल रहीं कि

राशन कार्ड में मात्रा के स्थान (√) का जो चिन्ह अंकित किया गया था, वह विभागीय निदेशों के विपरीत नहीं था।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्रीमती नीलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक–1396 दिनांक–17.03.2021 द्वारा श्रीमती नीलम से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। उक्त के क्रम में स्मारोपरान्त दिनांक–19.04.2022 का श्रीमती नीलम द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें इन्होंने अपने विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप का खंडन करते हुए अंकित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सुदिष्ट नारायण सिंह के सभी उपभोक्ताओं से पूछ–ताछ के क्रम में उपभोक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रति युनिट 04 किलोग्राम ही अनाज उपलब्ध कराया जाता है एवं राशन कार्ड पर (√) चिन्ह है, जो बिल्कुल गलत एवं निराधार है। विक्रेता के दुकान से कुल P.H.H कार्ड की संख्या–1126 संबद्ध है। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कार्ड पर मात्रा अंकित है एवं कार्ड भी संधारित है। साक्ष्य के रूप में कुछ कार्ड संलग्न कर प्रेषित कर रही हूँ। यदि मेरे संज्ञान में ऐसे कार्ड दिखते तो मैं अवश्य विक्रेता को ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी देती। सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में नौ (9) कार्ड पर (√) का चिन्ह पाया गया एवं चार किलोग्राम अनाज हर माह मिलने की बात पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशनुसार विक्रेता को निदेश दिया गया कि यदि कार्ड में मात्रा की प्रविष्टि नहीं करेंगे तो आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। निदेश के पश्चात् विक्रेता के द्वारा कार्ड में प्रविष्टि की गयी है। जहां तक राशन कार्ड में (√) का चिन्ह का प्रश्न है, इस पर विक्रेता को राशन कार्ड में मात्रा अंकित करने को कहा गया। विक्रेता के द्वारा बताया गया कि अधिक भीड़ हो जाने के कारण राशन कार्ड में मात्रा नहीं भर पाते हैं। उपभोक्ता से पूछे जाने पर बताया गया कि हर माह खाद्यान्न मिलता है जो मेरे निरीक्षण का साक्ष्य है। यदि मेरे द्वारा निगरानी न रखी जाती तो हर माह खाद्यान्न मिलने की बात नहीं कही जाती। जहां तक प्रति यूनिट चार किलो का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि सदर प्रखंड अन्तर्गत कुल P.H.H कार्ड की संख्या–27322 है, जिसकी कुल परिवार की संख्या–158654 है, परन्तु जिला से मात्र 126907 परिवारों के लिए आवंटन प्राप्त है। इस प्रकार 31747 परिवार का खाद्यान्न कम प्राप्त होता है तो मेरे द्वारा खाद्यान्न का गबन का प्रश्न ही नहीं है। कुल प्राप्त राशन कार्डों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निर्धारित मात्रा में आंशिक कमी करते हुए सभी उपभोक्ताओं के प्रत्येक माह खाद्यान्न की आपूर्ति करायी जा रही है। मेरे द्वारा प्रत्येक विक्रेता को सुचारू रूप से दुकान का संचालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। राशन कार्ड में प्रविष्टि नहीं रहने, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर को अनुशंसा की गयी है जिसके पश्चात् कई दुकानें अनियमितता के आरोप में रद्द हो चुकी है। जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ दुकान को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने हेतु बैठक किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन श्रीमती नीलम द्वारा समर्पित बचाव बयान/द्वितीय कारणपृच्छा तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती नीलम द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब मूल रूप से पूर्व में उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण/तथ्यों की पुनरावृत्ति मात्र है, जिसका खंडन करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत अधिगम समर्पित किया गया। विदित हो कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में आपूरित सामग्रियों की मात्रा अंकित नहीं कर मात्र सही (√) का चिन्ह अंकन किया गया है और यह प्रविष्टि 2–3 वर्षों से लगातार की जा रही थी। श्रीमती नीलम का यह कार्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधान के विपरीत एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना है, जो खाद्यान्नों के गबन में संलिप्तता को परिलक्षित करता है तथा निजी लाभ के लिए अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग करने का द्योतक है। श्रीमती नीलम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस बात का साक्ष्य आधारित खंडन नहीं किया गया है कि राशन कार्ड में मात्रा के स्थान पर सही (√) का चिन्ह का अंकन किस नियम/निदेश के तहत किया गया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत विषय दरअसल उपभोक्ताओं को तय मात्रा में देय खाद्यान्न की तुलना में कम मात्रा में खाद्यान्न के वितरण का है। यदि खाद्यान्न की वितरित मात्रा मानक मात्रा से कम थी, तो खाद्यान्न का आवंटन कम प्राप्त होना मात्र एक कारण नहीं हो सकता। श्रीमती नीलम यह सिद्ध नहीं कर पायी कि कम मात्रा में खाद्यान्न

का उपावंटन प्राप्त होने के बाद कम से कम उतनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण हुआ अथवा नहीं। दूसरी ओर श्रीमती नीलम के द्वारा नियत मात्रा से कम आवंटन की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गयी।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि श्रीमती नीलम के द्वारा सम्यक् रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। श्रीमती नीलम के द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन में शिथिलता बरती गयी है जिससे इनके विरूद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना करने का आरोप स्वतः प्रमाणित होता है। फलतः उक्त विवेचना के आधार पर श्रीमती नीलम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी नीलम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर छपरा (सारण) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम, 1950 के संगत प्रावधानों के आलोक में पाँच वर्षों तक 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अपीलार्थी का अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर स्पष्टीकरण में कोई भी नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वे प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही के मामले में निर्दोष है। उनके द्वारा सिर्फ पूर्व में कही गयी बातों की पुनरावृत्ति की गयी है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

फलतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–2588 / खाद्य, पटना / दिनांक–06.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी श्रीमती कुमारी नीलम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर छपरा (सारण) सम्प्रति सेवानिवृत को प्रमाणित आरोपों के लिए आदेश निर्गमन की तिथि से पाँच वर्षों तक 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित आदेश में किसी प्रकार की समपरिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0 / –
( लेशी सिंह )
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0 / –
( लेशी सिंह )
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(छपरा)–02 / 2019– 3525 खाद्य, पटना / दिनांक–09/12/2025

प्रतिलिपि–1. महालेखाकार, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) / उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल, छपरा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण (छपरा) / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्रीमती कुमारी नीलम (सेवानिवृत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी), स्थायी पता– C/o- स्व0 रामवरण प्रसाद सिन्हा, मकान संख्या–64, राजेन्द्र नगर, रोड नं0–13 A, पटना–800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(छपरा)–02 / 2019– 3525 खाद्य, पटना / दिनांक–09/12/2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।